अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए मैरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति की योजना

1. उद्देश्य :

इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बद्ध गरीब और मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर सकें।

2. कार्यक्षेत्र

यह छात्रवृत्तियां केवल भारत में ही अध्ययन के लिए उपलब्ध हैं और इन्हें राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा इस उद्देश्य के लिए पदनामित की गई एजेंसी के माध्यम से प्रदान की जाएंगी।

3. छात्रवृत्ति की संख्या

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, देशभर में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के बीच राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार इन समुदायों की आबादी के आधार पर नवीकरण के अलावा प्रत्येक वित्त वर्ष में 60,000 नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। 2001 की जनगणना के आधार पर नई छात्रवृत्तियों का विवरण निम्नानुसार हैः

अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बद्ध छात्रों में छात्रवृत्तियों का राज्यवार वितरण

अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए ताजा मामलों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार और समुदाय–वार मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति का वितरण								
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मुस्लिम	ईसाई	सिक्ख	बौद्ध	जैन	पारसी	कुल
1	आंध्र प्रदेश	971	247	2	1	7	0	1228
2	अरूणाचल प्रदेश	1194	119	8	9	6	0	1336
3	असम	6	64	1	44	0	0	115
4	बिहार	2553	306	7	16	7	0	2889
5	छत्तीसगढ़	4251	16	6	6	5	0	4284
6	गोवा	127	124	22	20	17	0	310
7	गुजरात	29	111	2	0	0	3	145
8	हरियाणा	1423	88	14	6	163	3	1697
9	हिमाचल प्रदेश	379	8	363	2	18	0	770
10	जम्मू कश्मीर	37	2	22	24	0	0	85
11	झारखंड	2105	6	64	35	1	0	2211
12	कर्नाटक	1156	339	26	2	5	0	1528
13	केरल	2002	313	5	122	128	0	2570
14	मध्य प्रदेश	2436	1877	1	1	1	0	4316

15	महाराष्ट्र	1190	53	47	65	169	0	1524
16	मणिपुर	3180	328	67	1809	403	10	5797
17	मेघालय	59	229	1	1	0	0	290
18	मिजोरम	31	505	1	1	0	0	538
19	नागालैंड	3	239	0	22	0	0	264
20	उड़ीसा	11	555	0	0	1	0	567
21	पंजाब	236	278	5	3	3	0	525
22	राजस्थान	118	91	4518	13	12	0	4752
23	सिक्किम	1483	23	254	3	202	0	1965
24	तमिलनाडु	2	11	0	47	0	0	60
25	त्रिपुरा	1075	1173	3	2	26	0	2279
26	उत्तर प्रदेश	79	32	0	31	0	0	142
27	उत्तराखंड़	9514	66	210	94	64	0	9948
28	पश्चिम बंगाल	314	8	66	4	3	0	395
29	आंध्र प्रदेश	6266	160	23	75	17	0	6541
30	अंडमान और निकोबार दीप समूह	9	24	0	0	0	0	33
31	चंडीगढ़	11	2	45	0	2	0	60
32	दादर और नगर हवेली	2	2	0	0	0	0	4
33	दमन और द्वीप	4	1	0	0	0	1	6
34	दिल्ली	503	40	172	7	48	0	770
35	लक्षद्वीप	17	0	0	0	0	0	17
36	पुडूचेरी	18	21	0	0	0	0	39
कुल		**42794**	**7461**	**5955**	**2465**	**1308**	**17**	**60000**

4. <u>छात्रवृत्ति के लिए शर्तें</u>

i) वित्तीय सहायता, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री और/अथवा स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम जारी रखने के लिए दी जाएगी। पाठ्यक्रम शुल्क एवं अनुरक्षण भत्ता चयनित छात्रों के खाते में जमा कराया जाएगा/सीधे ही अंतरिक किया जाएगा।

ii) वे छात्र, जो प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किसी कालेज में तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला प्राप्त करते है, वे इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे।

iii) वे छात्र, जो किसी प्रतियोगी परीक्षा के बिना तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला प्राप्त करते है, वे भी छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। तथापि, ऐसे छात्रों के उच्चतर माध्यमिक/स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत से कम अंक नहीं होने चाहिए। ऐसे छात्रों का चयन पूर्णतया मैरिट आधार पर किया जाएगा।

iv) आगामी वर्षों में छात्रवृत्ति को जारी रखना, पिछलें वर्ष के दौरान पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा होने पर निर्भर करेगा।

v) इस योजना के अंतर्गत कोई छात्रवृत्ति धारक, पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिए कोई अन्य छात्रवृत्ति/वृत्तिका प्राप्त नहीं करेगा।

vi) लाभग्राही/लाभग्राही के माता–पिता या लाभग्राही के अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए।

vii) आय प्रमाण–पत्र एक वर्ष के लिए वैध होगा।

viii) राज्य विभाग प्रत्येक वर्ष इस योजना को विज्ञापित करेगा और सम्बद्ध संस्थानों के माध्यम से समय–सीमा के अनुसार आवेदन आनलाइन प्राप्त करेगा।

ix) छात्रवृत्ति भुगतान के लिए आधार नंबर भी आवश्यक है।

x) विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों पर कार्रवाई करने और विश्लेषण करने तथा समय–सीमा के अनुसार छात्रवृत्ति स्वीकृति के लिए पात्र विद्यार्थियों का प्रस्ताव इस मंत्रालय में आनलाइन भेजने के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन उत्तरदायी होगी।

xi) निधियां जारी करने के लिए राज्य विभाग से आनलाइन प्रस्ताव इस मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष निर्धारित समय–सीमा के अनुसार मंत्रालय में अग्रेषित करना चाहिए तथा प्राप्त होना चाहिए।

xii) अगामी वर्ष में छात्रवृत्ति वितरण के लिए निधि, पिछले वर्ष के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद जारी की जाएगी। मंत्रालय के अधिकारियों या मंत्रालय द्वारा पदनामित किन्हीं अन्य एजेंसियों द्वारा वार्षिक निरीक्षण भी किया जाएगा।

5. <u>निर्धारण</u>

i) किसी एक राज्य में प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय में 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियां लड़कियों के लिए आरक्षित की जाएंगी, जो कि सम्बद्ध राज्य में उस समुदाय में किसी महिला उम्मीदवार के उपलब्ध न होने पर उसी समुदाय के किसी लड़के को अंतरित की जा सकती है।

ii) यदि किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में किसी विशेष अल्पसंख्यक समुदाय को छात्रवृत्ति के वितरण का लक्ष्य पूरा नहीं होता है, तो इसे अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मैरिट के अनुसार उसी अल्पसंख्यक समुदाय में वितरित किया जाएगा।

iii) किसी विशेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में रह रहा छात्र, उसके अध्ययन का स्थान कोई भी होते हुए, उसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कोटे के अंतर्गत छात्रवृत्ति का पात्र होगा।

iv) छात्रवृत्ति की संख्या को, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अल्पसंख्यक जनसंख्या के आधार पर राज्यवार निर्धारित किया गया है। राज्यवार आबंटनों में से विख्यात संस्थानों के आवेदनों पर पहले विचार किया जाएगा। ऐसे संस्थानों की सूची मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् http://www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।

6. मूल्यांकन

i) इस योजना का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाएगा और इस मूल्यांकन की लागत, इस योजना के प्रावधान के अंतर्गत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वहन की जाएगी। प्रशासनिक तथा सम्बद्ध लागत, अर्थात् योजना की निगरानी पर व्यय, प्रभाव अध्ययन, मूल्यांकन अध्ययन, कार्यालय उपकरणों की खरीद, अनुबंध आधार पर कर्मचारियों को लगाने, यदि आवश्यक हो और इसको चलाने के लिए अन्य खर्चों आदि को पूरा करने के लिए कुल बजट का 2 प्रतिशत का एक अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा। यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच समान रूप से वहन किया जाएगा।

7. संशोधन

i) मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा एसएफसी/ईएफसी/मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त किए बिना योजना में बिना किसी वित्तीय प्रभाव के लघु परिवर्तन किए जा सकते हैं। तथापि, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग से परामर्श किया जाएगा।

8. छात्रवृत्ति की दर

छात्रवृत्ति की दर इस प्रकार होगी :

क्र. सं.	वित्तीय सहायता का प्रकार	हास्टल में रहने वालों के लिए दर	दिवा स्कालरों के लिए दर
1.	भरण–पोषण भत्ता (केवल 10 मास के लिए)	10,000/- रु. प्रति वर्ष (1000/- रु. प्रति मास)	5,000/- रु. प्रति वर्ष (500/- रु. प्रति मास)
2.	पाठ्यक्रम फीस*	20,000/- रु. प्रति वर्ष या वास्तविक जो भी कम हो	20,000/- रु. प्रति वर्ष या वास्तविक जो भी कम हो
कुल		**30,000/- रु.**	**25,000/- रु.**

*सूचीबद्ध संस्थानों के लिए पूरी पाठ्यक्रम फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

9. भुगतान

i) छात्रवृत्ति राशि अर्थात् पाठ्यक्रम शुल्क और अनुरक्षण भत्ता चयनित विद्यार्थियों के बैंक खाते में सीधे जमा/अंतरित की जाएगी।

ii) इस छात्रवृत्ति का भुगतान एमबीबीएस में इंटर्नशिप/हाउसमैनशिप की अवधि के दौरान या किसी अन्य पाठ्यक्रम में व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान नहीं किया जाएगा, यदि वह छात्र इस इंटर्नशिप अवधि के दौरान कुछ परिश्रामिक अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान कुछ भत्ता/वृत्तिका प्राप्त कर रहा है।

10. छात्रवृत्ति के लिए अन्य शर्ते

i) यह छात्रवृत्ति, छात्र की संतोषजनक प्रगति और आचरण पर निर्भर है। यदि किसी समय संस्थान के प्रमुख द्वारा यह रिपोर्ट दी जाती है कि छात्र के अपने दोष के कारण वह संतोषजनक प्रगति करने में असफल हुआ है अथवा दुराचरण का दोषी रहा है जैसे कि हड़तालों में भाग लेना, संबंधित प्राधिकारियों की अनुमति के बिना उपस्थिति में अनियमितता आदि, तो छात्रवृत्ति मंजूर करने वाले प्राधिकारी इस छात्रवृत्ति को या तो रदद् कर सकते है अथवा बंद, अथवा ऐसी अवधि के लिए आगामी भुगतान को रोक सकते है, जैसा वे उचित समझते हो।

ii) यदि यह पाया जाता है कि किसी छात्र ने झूठा विवरण देकर छात्रवृत्ति प्राप्त की है, तो उसकी छात्रवृत्ति तुरंत रद्द कर दी जाएगी और भुगतान की गई राशि को संबंधित राज्य सरकार के विवेकानुसार वसूल किया जाएगा। संबंधित छात्र को काली सूची में डाला जाएगा और सदा के लिए किसी भी योजना में छात्रवृत्ति के लिए अयोग्य कर दिया जाएगा।

iii) यदि कोई छात्र अध्ययन के पाठ्यक्रम के विषय को बदलता है जिसके लिए मूल रूप से छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी अथवा राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना अध्ययन संस्थान को बदल लेता है, तो छात्रवृत्ति को रद्द किया जा सकता है। संस्थान प्रमुख ऐसे मामलों की रिपोर्ट इस मंत्रालय को देगा।

iv) यदि वर्ष के दौरान उन अध्ययनों, जिनके लिए छात्रवृत्ति दी गई है, छात्र द्वारा बंद कर दिये जाते हैं, अथवा अध्ययन के विषय को बदल लेता है तो राज्य सरकार के विवेकाधिकार पर छात्र को छात्रवृत्ति की राशि वापस करनी होगी।

v) योजना के अंतर्गत ये विनियम, भारत सरकार के विवेकाधिकार पर, किसी भी समय बदले जा सकते हैं।

vi) मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत स्नातक डिग्री स्तर एवं स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सूची इस मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् http://www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है।

11. आवेदन के लिए प्रक्रिया

(i) योजना राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। सभी विद्यार्थियों को इस मंत्रालय की वेबसाइट www.scholarships.gov.in पर आनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।

(ii) नई एवं नवीकरण छात्रवृत्तियां दोनों के लिए दस्तावेजों की सूची जिसे स्कैन एवं अपलोड किया जाना है। निम्नलिखित अनुसार हैः

क) विद्यार्थी का फोटो (अनिवार्य)
ख) संस्थान का सत्यापन प्रपत्र (अनिवार्य)
ग) विद्यार्थी द्वारा आय प्रमाण–पत्र का स्व–घोषणा (अनिवार्य)
घ) विद्यार्थी द्वारा समुदाय का स्व–घोषणा
ङ) नए मामले में : प्रपत्र में भरे गए रूप में 'पिछले शैक्षिक वर्ष की मार्कशीट' का स्वयं प्रमाणित प्रमाण–पत्र (अनिवार्य)
च) नवीकरण के मामले में:– प्रपत्र में भरे गए रूप में 'पिछले शैक्षिक वर्ष की मार्कशीट' का स्वयं प्रमाणित प्रमाण–पत्र (अनिवार्य)
छ) मौजूदा पाठ्यक्रम वर्ष के लिए फीस रसीद (अनिवार्य)
ज) विद्यार्थी के नाम का बैंक खाते का प्रमाण (अनिवार्य)
झ) आधार कार्ड (वैकल्पिक)
ञ) आवास प्रमाण–पत्र (अनिवार्य)

12. योजना की निधिकरण पद्धति

100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।

*****